

भाग-III

जनपद- अल्मोड़ा के न्यायालय सिविल जज (जू0डी0) रानीखेत, अल्मोड़ा के
भवनों का निर्माण

क्षेत्रफल - 0.980 है0

(प्रस्ताव संख्या 150277 / 2021)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ, सहमत।
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक:- 22.02.2022।

स्थान:- अल्मोड़ा।

(प्रवीण कुमार)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 3969 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 22/02/2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- अल्मोड़ा के न्यायालय सिविल जज (जू0डी0) रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों का निर्माण प्रस्ताव सं0 FP/UK/OTHER/150277/2021।

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा की पत्र संख्या 4371/12-1 (2) दिनांक 16.02.2022।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत भवनों से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्ताव की 03 हार्ड कॉपियां Part-I, Part-II and Part-III सहित संलग्न कर बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

संलग्न- 03 हार्ड कॉपियां।

भवदीय

(प्रवीण कुमार)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।